



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252813  
CG-DL-E-11032024-252813

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 151]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

सा.का.नि. 163(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के द्वारा यथापेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 911(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 22 दिसंबर, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

- (i) नियम 115क के, उपनियम (10) की सारणी 2 में, “से लागू” शीर्ष में, “1 अप्रैल, 2024” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 जनवरी, 2025” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) नियम 120 के, उपनियम (6) में, “1 अप्रैल, 2024” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 जनवरी, 2025” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) नियम 120 के, उपनियम (6) की सारणी 1 और सारणी 2 में, “1 अप्रैल, 2024” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 जनवरी, 2025” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (iv) नियम 124ग में, “1 अप्रैल, 2024” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 जनवरी, 2025” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल (भाग-1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण.—** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 159(अ), तारीख 6 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2024

**G.S.R. 163(E).**—WHEREAS, the draft rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 911(E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 22<sup>nd</sup> December, 2023;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989,-

(i) in rule 115A, in sub-rule (10), in Table 2, in the heading “Applicable with effect from”, for the figures and words, “1<sup>st</sup> April, 2024”, the figures and words “1<sup>st</sup> January, 2025” shall be substituted.

- (ii) in rule 120, in sub-rule (6), for the figures and words, “1<sup>st</sup> April, 2024”, the figures and words “1<sup>st</sup> January, 2025” shall be substituted.
- (iii) in rule 120, in sub-rule (6), in Table 1 and Table 2 for the figures and words, “1<sup>st</sup> day of April, 2024”, the figures and words “1<sup>st</sup> day of January, 2025” shall be substituted.
- (iv) in rule 124C, for the figures and words, “1<sup>st</sup> April, 2024”, the figures and words “1<sup>st</sup> January, 2025” shall be substituted.

[No. RT-11028/22/2016-MVL(part-1)]

Mahmood Ahmed, Addl. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 159(E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2024.